संख्या-19/2023/410/001-53-2099-922-2019-6(बजट)/18

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (राज्य योजना-अनुदान संख्या-16) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-31/दुग्ध-4/नियो0/उ0प्र0दुग्धनीति-2018(231)/23-24, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक "2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनाएं-09-उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.33 लाख (रूपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 अंतर्गत संस्थाओं/प्रमोटर्स के ब्याज उपादान/पूंजीगत अनुदान के भुगतान हेतु किया जायेगा ।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
4. दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा ।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
7. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।
10. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
11. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

12. विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
13. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।
14. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र०शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1073/53-1-1-18-1(विविध)/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 व समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020900 उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2023/410(1)/001-53-2099-922-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1/नियोजन अनु0-3/राज्य योजना आयोग-3/दुग्ध विकास अनु 0-1,उ0प्र0 शासन।
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in